

**प्रेषक**

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

**सेवा में**

- 1- निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

**पंचायतीराज अनुभाग-3**

लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

**विषय:- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के विभिन्न शहरों में व विदेशों में कार्यरत हैं। ग्राम में निवासरत व बाहर गए सुविधा सम्पन्न लोग अपने गाँव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफार्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित स्तर का सहयोग व योगदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य ग्राम पंचायतों में कार्यों को कराना चाहते हैं/करना चाहते हैं, और कार्य की लागत का 60 प्रतिशत की धनराशि वहन करने के इच्छुक हैं तो शेष 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट/प्लेक सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

3. इस योजना का नाम 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' रहेगा।

4. उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 के अध्याय-4 की धारा-15 में ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 243-छ के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 द्वारा 29 विषय पंचायतों को दिए जाने का निर्णय लिया गया।

5. कार्यसूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए एक वृहद कार्य क्षेत्र मिला हुआ है। यह भी ज्ञात है कि इन समस्त कार्य क्षेत्रों में प्रभावी विकास करने के लिए और आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए अगर शासकीय धन व योजनाओं के साथ-साथ निजी सहभागिता को बढ़ाया जाए तो कार्य में तेजी आ सकती है। कार्य तेज गति से होने के साथ-साथ उसमें गुणात्मक सुधार और नए तकनीकी व विचार का समावेश भी हो सकता है। निजी निवेश, तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन उपलब्ध होने से कार्यों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. योजना के तहत जो निर्माण कार्य किए जा सकते हैं, उसकी प्रतीकात्मक सूची निम्नवत् है :-

- (i) स्कूलों व इण्टर कालेज की कक्षाओं का निर्माण या स्मार्ट क्लासेस की स्थापना व संचालन
- (ii) सामुदायिक भवन, विवाह हेतु मैरिज हॉल (बारात घर), स्किल सेन्टर का निर्माण/ संचालन।
- (iii) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत और स्थापित होना चाहिए)- उप चिकित्सा केन्द्र भवन, साज-सज्जा, उन्नयन (Up-gradation), उपकरण आदि की व्यवस्था।
- (iv) आंगनबाड़ी-मध्याह्न भोजन का रसोईघर - भण्डारण गृह।
- (v) पुस्तकालय, ऑडीटोरियम।
- (vi) खेलकूद स्टेडियम के लिए व्यायाम शाला और उपकरण, ओपन जिम।
- (vii) सी.सी.टी.वी. कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
- (viii) अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण/विकास।
- (ix) जल उपचारण की व्यवस्था एवं सीवरेज/एस.टी.पी.सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट।
- (x) तालाब का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, जल संरक्षण के कार्य।
- (xi) बस स्टैण्ड, यात्री शेड।
- (xii) सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाईट, पेयजल व्यवस्था, एल.ई.डी. लाईट।
- (xiii) पशु सुधार नस्ल केन्द्र की स्थापना/संचालन।
- (xiv) फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना।
- (xv) ग्रामीण आर्टिशन के लिए अवस्थापना सुविधाएं व मार्केटिंग की व्यवस्था।
- (xvi) दुग्ध संग्रह केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर व समितियों का विकास।
- (xvii) चारागाह विकास।
- (xviii) गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए कार्य।
- (xix) अन्य विकास/जनोपयोगी कार्य।

उपरोक्त कार्यों के साथ पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य क्षेत्र के कार्य भी कराए जा सकते हैं।

7. ऊपर दर्शाए गए कार्यों के लिए निर्धारित लागत में से दानकर्ता/दानकर्तागण अपने गाँव में 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का दान देकर कार्य सम्पन्न करवा सकेंगे। दानकर्ता द्वारा दी गयी राशि के बाद शेष 40 प्रतिशत राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

8. इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" का गठन किया जाएगा। इस सोसायटी के अन्तर्गत अधिकृत शासी संस्था और सशक्त समिति बनाई जाएगी। इस गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**गवर्निंग काउन्सिल**

1	माननीय मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग	उपाध्यक्ष
3	मुख्य सचिव	सदस्य
4	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	सदस्य
9	अध्यक्ष, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) लखनऊ	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
12	ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े हुए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव

**सशक्त समिति**

1	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,	सदस्य (विशेष आमंत्रित)
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
5	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
7	अध्यक्ष, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान(एस.आई.आर.डी.) लखनऊ	सदस्य
8	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
9	मुख्य विकास अधिकारी-02, (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9. योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि यानि कि शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था, कार्य से सम्बन्धित विभागों के बजट प्रावधानों से की जाएगी, जिसका इंगितात्मक विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	विभाग का नाम
1	स्कूल व इण्टर कालेज की कक्षाएं या स्मार्ट क्लास	बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग/ पंचायती राज विभाग
2	सामुदायिक भवन	पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग
3	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत और स्थापित होना चाहिए)- उप चिकित्सा केन्द्र भवन	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग
4	आंगनबाड़ी- मध्याह्न भोजन का रसोईघर- भण्डारण गृह	महिला एवं बाल विकास विभाग/ शिक्षा विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग
5	पुस्तकालय	खेलकूद, युवा कल्याण विभाग / पंचायतीराज विभाग
6	खेलकूद के लिए व्यायाम स्कूल भवन और उपकरण	खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग
7	सी.सी.टी.वी. कैमरा, सविलांस सिस्टम, फायर सर्विस स्टेशन के भवन	गृह विभाग, पंचायती राज विभाग
8	अन्त्येष्टि स्थल का विकास	पंचायती राज विभाग
9	जल उपचारण की व्यवस्था एवं सीवरेज/ एस.टी.पी. आदि	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/पंचायती राज विभाग
10	तालाब का सौंदर्यीकरण	पंचायती राज, ग्राम्य विकास, सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
11	बस स्टैण्ड	परिवहन/ग्राम्य विकास विभाग
12	सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाईट और पेयजल योजनाएं, आर0ओ0 प्लान्ट	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कराया जाएगा। सोसायटी का राज्य स्तर पर Escrow बैंक अकाउण्ट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसायटी के अन्तर्गत अलग से बैंक अकाउण्ट खुलवाया जाएगा। सोसायटी को आवश्यकतानुसार Corpus Fund उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे Reimburse किया जाएगा। इस Corpus Fund के ब्याज से PMU के संचालन का व्यय भार वहन किया जा सकेगा।

11. दानकर्ता के द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिए दान की राशि इस योजना के तहत खुलवाए गए Escrow अकाउण्ट में जमा करायी जाएगी। दान की राशि जमा करवाने के 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी कार्य की प्रगति की रिपोर्ट जिला अधिकारी को देगे।

12. योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस हेतु "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंक अकाउण्ट इस PMU द्वारा संचालित किया जाएगा। PMU द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल एप तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से दानकर्ताओं के दान की राशि एवं सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाये गये अलग बैंक अकाउण्ट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद, उससे संबंधित कार्य के लिये व्यय किया जा सकेगा। किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की मदद से पोर्टल को खोला जा सकेगा। पोर्टल के ऊपर कार्यों का विवरण और कार्य का प्रकार, आदि दर्शाना होगा, ताकि दानकर्ताओं को दान देने के लिए सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके। संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, पंचायत और मुख्य विकास अधिकारी के लिए आवश्यकता अनुसार लॉग-इन आईडी और पासवर्ड जनरेट किये जायेंगे।

13. सरकारी अनुदान, CSR और अन्य ग्रांट भी पोर्टल के माध्यम से जमा होंगे। दानदाताओं के साथ सीधा संपर्क करने और अनुरोध व समस्याओं के निवारण के लिए एक कॉल सेन्टर का प्रयोग किया जाएगा। इस कॉल सेन्टर के मैनेपावर और इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" द्वारा की जाएगी। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए देश एवं विदेशों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। विदेशों में प्रसारित होने वाले भारतीय चैनलों पर प्रसारण के साथ-साथ सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह कार्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुसार PMU के द्वारा किया जाएगा।

14. दानदाताओं को योजना की जानकारी और कार्यों के विवरण का आदान-प्रदान ग्रामीण स्तर पर पंचायत सहायक द्वारा किया जाएगा।

a. कार्य पूर्ण होने के बाद और दानकर्ता की ओर से प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस योजना के तहत दानकर्ता एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान की राशि के 0.5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिशत या अधिकतम प्रति कार्य रू. 10,000 की सीमा में पंचायत सहायक को फीस का भुगतान किया जाएगा। इस फीस की धनराशि 50 प्रतिशत दानकर्ता और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

b. पंचायत सहायक गाँव से सम्बन्धित दानदाताओं को संपर्क करके उन्हें इस योजना की जानकारी देगा और गाँव के विकास के लिए आवश्यक कार्यों का विवरण प्रदान करेगा।

c. पंचायत सहायक संबंधित गाँव के लिए निर्धारित किये गये कार्यों की प्रगति की लेटेस्ट डिटेल्स, फोटो के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से दानदाताओं को समय-समय पर सूचना प्रदान करेगा।

15. इस योजना के अन्तर्गत, दानकर्ता की इच्छा के अनुसार उसकी पसंद की एजेन्सी के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। दानकर्ता की पसंद की एजेन्सी द्वारा दिये गये कार्य के नक्शे और DPR आदि कार्य से संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद एजेन्सी के नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। दानकर्ता स्वयं भी कार्य करवा सकते हैं, परन्तु ऐसे मामले में सक्षम स्तर से DPR अनुमोदित होगी व भुगतान सीधा वेण्डर्स को किया जाएगा। दानदाता अगर इच्छुक हो तो कार्य PMU द्वारा भी सम्पादित कराया जा सकता है। ऐसे कार्य जो किसी विभाग द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं, उन पर तकनीकी स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर सेवानिवृत्त अभियंताओं व एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से इन परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो सके। दानदाता निविदा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

16. निर्माण कार्यों में से कोई भी कार्य यदि कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी करवाना चाहती है तो ऐसे कार्यों के लिए सरकारी सार्वजनिक उद्यम/निजी औद्योगिक इकाइयाँ, कार्य की कुल लागत का 60 प्रतिशत राशि स्वयं और शेष 40 प्रतिशत राशि उस कंपनी के CSR के माध्यम से सरकारी अनुदान में दे सकती हैं। अर्थात् इस योजना के तहत कोई भी सरकारी या प्राइवेट कम्पनी अपने CSR में से 40 प्रतिशत इन कार्यों के लिए दे सकेगी, जिसे सरकारी अनुदान के तौर पर माना जाएगा। इस योजना में यदि सांसद/विधायक निधि अन्य शासकीय योजना की धनराशि कन्वर्ज की जाती है तो उन्हें भी सरकारी अनुदान के रूप में माना जाएगा। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सक्रिय रूप से स्थानीय अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। योजना के तहत होने वाले प्रत्येक कार्य का अलग विकास खण्डवार लेखांकन जिला स्तर पर रखना होगा। योजना के तहत किए गए कार्यों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग व संस्था जिसे परिसम्पत्ति स्थानांतरित की जाएगी उसकी रहेगी।

17. PMU के मैनुअल एवं वाहनों, प्रवास आदि व्यय को प्रशासनिक व्यय के तौर पर माना जाएगा। यह व्यय आवंटित बजट के 3 प्रतिशत की सीमा तक किया जा सकेगा। इसके अलावा, कार्यकारी समिति कुल अनुदान के 3 प्रतिशत की सीमा में योजना के प्रचार-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रसार, रोड शो आदि का बजट स्वीकृत करेगी। कारोबारी समिति द्वारा उसके अनुसार ही वार्षिक बजट तैयार किया जाएगा।

18. योजना के तहत होने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति किसी अन्य योजना के माध्यम से न हो, यह तकनीकी के प्रयोग (Geo-tagging आदि से) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

19. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में उपरोक्तमुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या व दिनांक:- तदैव।**

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
5. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०), उ०प्र०।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
11. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उ०प्र०।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ०प्र०।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।